

## प्रेस नोटथाना कैण्ट गोरखपुर दिनांक 03.09.2020

दो शातिर अपराधी मय एक अदद तमंचा 12 बोर , एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद चाकू के गिरफ्तार थाना कैन्ट, जनपद गोरखपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा जनपद के गैंगेस्टर / टाप -10 / टाप 20 / इनामिया व चोरी आदि की घटनाओं पर रोक लगाने हेतु व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाकर शहर क्षेत्र में कार्यवाही हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में , श्रीमान क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कैण्ट को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए टीम बनाकर लगाया गया था। जिसके क्रम में प्रभारी निरीक्षक कैण्ट के नेतृत्व में थाना स्थानीय की पुलिस के सहयोग से दो शातिर अपराधी मय एक अदद तमंचा 12 बोर मय जिन्दा कारतूस व एक अदद चाकू के दिनांक 03.09.2020 प्रातः 04.30 बजे परेड ग्राउण्ड गेट से लगभग 250 मी० आगे कार्मल की तरफ जाने वाली सड़क से गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत किया गया।

### घटना का प्रकार-

आज दिनांक 03 09 20 . को रात्रि गश्त करते समय मालकिन होटल के पास दो संदिग्ध व्यक्तियों को शक के आधार पर दौड़ा कर पकड़ा गया जामा तलाशी में 1. सुनील कुमार चौधरी पुत्र स्वर्गीय भरत लाल चौधरी निवासी हट्टी माता स्थान के पीछे मियां बाजार थाना कोतवाली गोरखपुर इनके पास से 12 बोर का एक तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। दूसरे व्यक्ति 2. बृजभान सिंह पुत्र स्व० अमर सिंह निवासी दिग्विजय नगर कॉलोनी हुमायूंपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ गोरखपुर के पास से एक अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1. सुनील कुमार चौधरी पुत्र स्व० भरत लाल चौधरी निवासी हट्टी माता स्थान मियां बाजार थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर उम्र करीब 30 वर्ष
2. बृजभान सिंह पुत्र स्व० अमर सिंह निवासी दिग्विजय नगर कालोनी हुमायूंपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर उम्र करीब 37 वर्ष

## बरामदगी का विवरण

1. एक अदद तमंचा 12 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
2. एक अदद नाजायज चाकू

## अपराधिक इतिहास-

1. सुनील कुमार चौधरी पुत्र स्व० भरत लाल चौधरी निवासी हट्टी माता स्थान मियां बाजार थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर
  - a. मु०अ०सं० 1162/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. बृजभान सिंह पुत्र स्व० अमर सिंह निवासी दिग्विजय नगर कालोनी हुमांयूपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
  - a. मु०अ०सं० 1163/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमा राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ०नि० श्री अक्षय कुमार मिश्र चौकी प्रभारी रेलवे थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. कांस्टेबल उपेंद्र सिंह चौकी प्रभारी रेलवे थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कांस्टेबल रंजीत सिंह चौकी प्रभारी रेलवे थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. कांस्टेबल शिव धनी यादव चौकी प्रभारी रेलवे थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

वापसी उप निरीक्षक व दाखिला एक किता फर्द बरामदगी एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व एक अदद चाकू नाजायज सर्व मोहर मय नमूना मोहर मय गिरफ्तार शुदा 2 नफर अभियुक्त व कायमी मु0अ0सं0 1162/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 1163/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट –

उ0नि0 श्री अक्षय कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी रेलवे थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर मय हमराह हाक 16 के कर्मचारीगण कां0 उपेन्द्र सिंह व कां0 रंजीत सिंह व कां0 शिवधनी यादव के रवाना शुदा रो0आम तारीखी से मय एक किता फर्द बरामदगी एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व एक अदद चाकू नाजायज सर्व मोहर मय नमूना मोहर व मय गिरफ्तार शुदा 2 नफर अभियुक्तग मुसम्मियान 1. सुनील कुमार चौधरी पुत्र स्व0 भरत लाल चौधरी निवासी हट्टी माता स्थान मियां बाजार थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर -हुलिया-रंग गन्दुम, चेहरा लम्बा, दोहरी मजबूत जिस्म, आँख, कान, नाक, कद औसत उम्र करीब 30 वर्ष 2. बृजभान सिंह पुत्र स्व0 अमर सिंह निवासी दिग्विजय नगर कालोनी हुमांयूपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर , हुलिया-रंग गन्दुम, चेहरा लम्बा, दोहरी मजबूत जिस्म, आँख, कान, नाक, कद औसत उम्र करीब 37 वर्ष, अन्तर्गत धारा शस्त्र अधि0 के जेर कब्जा/जेर हिरासत व निगरानी खुद व हमराही कर्मचारी के उपस्थित थाना आया। अभियुक्तगण की मजीद जामा तलाशी समक्ष सन्तरी पहरा व हमराही कर्मचारीगण के ली गयी तो पहने हुए कपड़ों के अलावा अन्य कोई शय बरामद नहीं हुआ, कि अभियुक्तगण को अन्दर हवालात मर्दाना दाखिल किया गया, जो पहले से खाली व साफ है। रहायशी हेतु सरकारी कम्बल दिया गया। खाना खाने से मुमकिन है। हस्व ख्वाइश खुराक दी जायेगी। जिस्म ताजा चोटो से पाक व साफ है। पुलिस दुर्व्यवहार के निन्दक नहीं है। दौरान बरामदगी व गिरफ्तारी मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का पालन किया गया। गिरफ्तारी की सूचना जरिये उचित माध्यम अभि0गण के परिजनों को दिया गया। बरामद शुदा तमंचा मय कारतूस चाकू नाजायज सर्व मोहर मय नमूना मोहर के अन्दर मालखाना रखा गया। ताला मालखाना बन्द ठीक संतरी को दिखाया गया। चाभी पूर्ववत है। दाखिल फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर क्रमशः मु0अ0सं0 1162/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट दिनांक घटना -03.09.2020 समय 04.30 बजे रात, दिनांक सूचना व समय कायमी रपट हाजा तारीखी इमरोजा घटना स्थल –पेड ग्राउण्ड गेट से लगभग 250 मी0 आगे कार्मल की तरफ जाने वाली सड़क बमुदय्यैत राज्य द्वारा उ0नि0 श्री अक्षय कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी रेलवे थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर मो0न0 7905113443 बनाम- 1. सुनील कुमार चौधरी पुत्र स्व0 भरत लाल चौधरी निवासी हट्टी माता स्थान मिया बाजार थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर व मु0अ0सं0 1163/20 धारा व 4/25 आर्म्स एक्ट, दिनांक घटना -03.09.2020 समय 04.30 बजे रात, दिनांक सूचना व समय कायमी रपट हाजा तारीखी इमरोजा घटना स्थल –पेड ग्राउण्ड गेट से लगभग 250 मी0 आगे कार्मल की तरफ जाने वाली सड़क बमुदय्यैत राज्य द्वारा उ0नि0 श्री अक्षय कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी रेलवे थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर मो0न0 7905113443 बनाम- बृजभान सिंह पुत्र स्व0 अमर सिंह निवासी दिग्विजय नगर कालोनी हुमांयूपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर के बतफतीशी उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार यादव मो0नं0 9415535753 के सीसीटीएनस पर पंजीकृत कर कायम जरायम किया गया। विस्तृत विवरण हस्व मुन्दर्जा फर्द है। डेली जरायम रवाना होगी। तकमिला सम्बन्धित रजिस्ट्रान होगा घटना की सूचना जरिये उचित माध्यम उच्चाधिकारीगण को दी जा रही है। नकल रपट, नकल एफ.आई.आर. वास्ते विवेचना व आवश्यक कार्यवाही जरिये पीआरडी रमेश कुमार चौरसिया के पास विवेचक भेजा जा रहा है। मै उ0नि0 मय हमराही कर्म0गण के वास्ते कार्य सरकार पुनः चौकी क्षेत्र रवाना हुआ।